भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000
पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 868861

पृथ्वीपाल

विक्रय अनुबन्ध पत्र

प्रतिफल की धनराशि	—	रू0 22,57,333 /—
अग्रिम धनराशि	—	रू0 22,52,333 /—
बकाया धनराशि	—	रू0 5,000 /—
मालियत	—	रू0 9,62,000 /—
अदा किये गये जनरल स्टैम्प	—	रू0 1,58,200 /—

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — बिजनौर

पृथ्वीपाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 810824

3. ग्राम — हसनपुर खेवली

4. सम्पत्ति का विवरण— भूमि खसरा संख्या 91स रकबा 0.190 हेक्टेअर का पूर्ण भाग, भूमि खसरा संख्या 91सं रकबा 0.126 हेक्टेअर, भूमि खसरा संख्या रकबा 0.076 हेक्टेअर कुल रकबा 0.202 हे0 का 1/4 भाग अर्थात 0.0505 हे0, इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 0.2405 हे0 स्थित ग्राम—हसनपुर खेवली, परगना— बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5. मापन की ईकाइ — हेक्टेअर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.2405 हेक्टेअर

[illegible]
द्वारा [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 810821

-3-

7.	सड़क की स्थिति	–	सुल्तानपुर रोड से 200 मी0 से अधिक दूर
8.	सम्पत्ति का प्रकार	–	कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	–	कोई पेड़ नहीं है।
10.	बोरिंग / कुआं अन्य	–	कुछ भी नहीं है।

संयुक्त चौहद्दी खसरा नं0 91स.व 91सं.

उत्तर	:	चकरोड
दक्षिण	:	खसरा नं0–94, 909, से 913 तक
पूरब	:	खसरा नं–90
पश्चिम	:	खसरा नं0–92

पृथ्वी पाल

प्रस्ता० 17 ए12

प्रस्तावक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 810822

चौहद्दी खसरा नं0 95

उत्तर	:	खसरा नं0–94
दक्षिण	:	खसरा नं0–96
पूरब	:	खसरा नं0–109, 108
पश्चिम	:	खसरा नं0–93

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 810823

प्रथम पक्ष की संख्या–1 : द्वितीय पक्ष की संख्या–1

प्रथम पक्ष का विवरण	द्वितीय पक्ष का विवरण
सहदेव पुत्र डींगुर निवासी– हसनपुर खेवली परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	पृथ्वीपाल पुत्र गिरधारी लाल निवासी– मकान नं0 282, मयाराम खेड़ा, मजरा कोटिया बिंदकी जिला फतेहपुर
व्यवसाय– कृषि	व्यवसाय– कृषि

पृथ्वीपाल

सहदेव

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

642485

यह विकय अनुबन्ध पत्र सहदेव पुत्र डींगुर निवासी– हसनपुर खेवली परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे **प्रथम पक्ष** कहा गया है (जिसके अन्तर्गत प्रथम पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है)

एवम्

पृथ्वीपाल पुत्र गिरधारी लाल निवासी– मकान नं0 282, मयाराम खेड़ा, मजरा कोटिया बिंदकी, जिला फतेहपुर जिन्हें आगे **द्वितीय पक्ष** कहा गया है (जिसके अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के विधिक

पृथ्वीपाल

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये — RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05AA 973284

उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है) के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या 91स. रकबा 0.190 हेक्टेअर का पूर्ण भाग, भूमि खसरा संख्या 91रा. रकबा 0.126 हेक्टेअर, भूमि खसरा संख्या 95 रकबा 0.076 हेक्टेअर कुल रकबा 0.202 हे0 का 1/4 भाग अर्थात 0.0505 हे0, इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 0.2405 हे0 स्थित ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिज व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी संख्या

पृथ्वीपाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 150098

00323 व 00317 के अनुसार भूमि प्रथम पक्ष के नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रथम पक्ष अपना सम्पूर्ण हिस्सा द्वितीय पक्ष को इस विक्रय अनुबन्ध पत्र द्वारा विक्रय कर रहा है। प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कागिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि प्रथम पक्ष यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा प्रथम पक्ष ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या

पृथ्वीपाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 441379

30 MAY 20

अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार प्रथम पक्ष व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। प्रथम पक्ष के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं प्रथम पक्ष को उक्त अनुबन्ध करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरुप कुल विक्रय मूल्य रू0 22,57,333/— (रू0 बाईस लाख सत्तावन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 441378

-10-

हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) के प्रतिफल में द्वितीय पक्ष को विक्रय करना तय किया है जिसमे से बतौर अग्रिम धनराशि रू0 22,52,333/— (रू0 बाईस लाख बावन हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) प्रथम पक्ष ने प्राप्त कर लिया है जिसका उपरोक्त द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को प्रथम पक्ष यहाँ स्वीकार करता है, तथा प्रथम पक्ष सक्षम अधिकारी से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज करवा कर व सक्षम अधिकारी से द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय की अनुमति लेने के बाद विक्रय अनुमति

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 908287

11

प्राप्त होने से तीन महीने के अन्दर द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय विलेख अवश्य निष्पादित कर देगा तथा कोई हीला हवाली या इन्कार नही करेगा तथा शेष बकाया धनराशि रू0 5,000/– (रू0 पाँच हजार मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके विक्रय विलेख अवश्य निष्पादित कर देगा तथा कोई हीलाहवाली या बहानेबाजी नहीं करेगा। ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति मे द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत विक्रय विलेख निष्पादित करवा ले।

पृथ्वीपाल

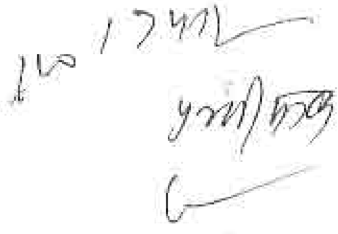

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 908289

TRY. LKO

27 MAR 2017

-13-

यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रीत भूमि का कब्जा इसे अनुबन्धो पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है।

यह कि अब उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है।

यदि विकयशुदा सम्पति अथवा कोई भाग प्रथम पक्ष के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण द्वितीय पक्ष या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो द्वितीय पक्ष उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना

विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

2,357,333.00	962,000.00	2,352,333.00	10,000.00	20	10,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	अग्रिम धनराशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री सहदेव

पुत्र श्री डोंगुर

व्यवसाय कृषि

निवास स्थायी हसनपुर खेवली पर बिजनौर,लखनऊ

तथा अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/6/2012 समय 4:53PM

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी.सी. सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

11/6/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री सहदेव

पुत्र श्री डोंगुर

पेशा कृषि

निवासी हसनपुर खेवली पर.बिजनौर,लखनऊ

क्रेता

श्री पृथ्वीपाल

पुत्र श्री गिरधारी लाल

पेशा कृषि

निवासी मयाराम खेड़ा मजरा कोटिया बिदकी फतेहपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री बी.आर.शर्मा

पुत्र श्री स्व.ए.आर.शर्मा

पेशा व्यापार

निवासी मदन मोहन मालवीय मार्ग,लखनऊ

व श्री रामसेवक

पुत्र श्री बृज लाल

पेशा व्यापार

निवासी ग्राम चिलौला लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी.सी. सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

11/6/2012

समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, प्रथम पक्ष की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में प्रथम पक्ष एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको प्रथम पक्ष भुगतान व वहन करेंगे, प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खेवली अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 **40,00,000/-** प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि **0.2405** हे0 की मालियत रू **9,62,000/-** होती है चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 **1,58,200/-** जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के निबन्धन का समस्त व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय अनुबन्ध पत्र प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष

विक्रेता

Registration No.: 13052 Year: 2012 Book No.: 1

0101 सहदेव

पुत्र:

[illegible] बिजनौर, [illegible]

कृषि

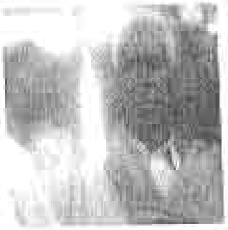

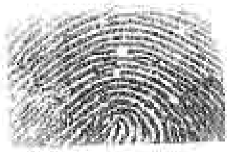

गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. प्रथम पक्ष को रू0 22,52,333/– द्वारा चैक संख्या– 655794 दिनांकित 11/06/2012 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए।

इस प्रकार प्रथम पक्ष को अग्रिम मूल्य रू0 22,52,333/– (रू0 बाईस लाख बावन हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।

लखनऊः

दिनांक : 11.06.2012

गवाह :

1. B. Rastogi
S/o L. A Rastogi
18. m.m.m. marg
Lucknow

2. [illegible]

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

टाईपकर्ता

(लवलेन्द्र सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट ,लखनऊ

डेला

Registration No. 11052 Year 2,012 Book No. 1

0201 पृथ्वीपाल

गिरधारी लाल

[illegible] बिन्दकी फतेहपुर

कृषि

इमाडपुर जिल्ला

कमला [illegible] नगर

[illegible]

[illegible] ११ कि. नं २१.०५

[illegible] ०.२४०५ हे. मिति [illegible]

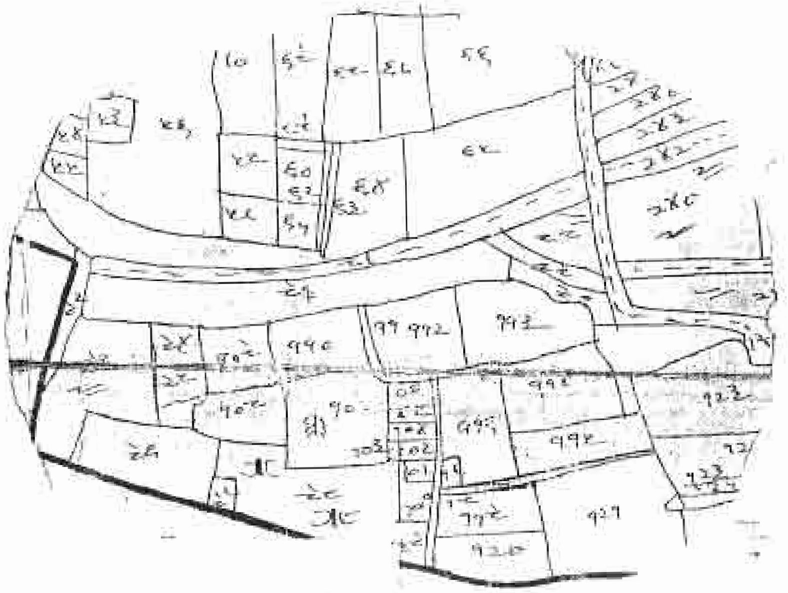

[illegible]

पूर्व/पश्च

[illegible]

आज दिनांक 11/06/2012 को

बही सं 1 जिल्द सं 14336

पृष्ठ सं 295 से 324 पर क्रमांक 11052

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी. सी. सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
11/06/2012